

14.6.22 पत्रावली पेश। कमीन प्रार्थी उपस्थित।
व्यस्य पर मजबूत करने एवं पत्रावली का
अनुमोदन करने पर पाया गया कि प्रार्थी
द्वारा इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से पाठ
गया अनुमोदन द्वारा 136 R.A. के
प्रसंगों की परिधि में नहीं आता है।
अतः यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता
है। पत्रावली काद तरतीब तस्वीर होकर
टांकित होकर हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.6.22
को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखा
जाता हुआ पाया गया।

अभिवाधा
R.A.S.

उपरोक्त अधिकारी
E.S. (110)